


11.09.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी की मूल अपील निर्णित हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही